Annexure-

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 REGISTERED No. D.L.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2010/माघ 8, 1931	[रा.रा.रा.क्षे. दि. सं. 294
No. 15]	DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2010/MAGHA 8, 1931	[N.C.T.D. No. 294

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

उद्योग आयुक्त का कार्यालय
अधिसूचना

दिल्ली, 28 जनवरी, 2010

सं. फा. 1/जेसीआई/सीईटीपी/मीटिंग/2009/38.—जबकि दिनांक 5 जनवरी, 2001 की अधिसूचना सं. फा. 14/29/[illegible] के अनुसार दिल्ली सार्वजनिक मलशोधक संयंत्र [illegible], 2000 दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की औद्योगिक [illegible] में स्थापित सार्वजनिक मलशोधक संयंत्रों की पूंजीगत तथा आव[illegible]लागत संबंधी भू-राजस्व के बकाये के रूप में देनदारियों की वसूली करने तथा इससे संबंधित या प्रासंगिक विषयों के लिये प्रभावी किया गया था।

[illegible] कि तत्पश्चात् दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की [illegible] संख्या 7/99/सीईटीपी/2000 के अनुसार दिल्ली [illegible] मलशोधक संयंत्र नियमावली, 2001 प्रकाशित की गई [illegible]।

और जबकि सार्वजनिक मलशोधक संयंत्र समितियों द्वारा सार्वजनिक मलशोधक संयंत्रों के श्रेयस्कर रखरखाव एवं संभाल के लिये अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों के विकेन्द्रीयकरण करने के लिये प्रथम अनुसूची के साथ संलग्न सूची के अनुसार सम्बद्ध सार्वजनिक मलशोधक संयंत्र समितियों को उपयुक्त प्राधिकारी की शक्तियां सौंपने का निर्णय लिया गया है।

अतः, अब दिल्ली सार्वजनिक मलशोधक संयंत्र अधिनियम, 2000 की धारा 15 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्योग आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इसके द्वारा इस अधिनियम में उल्लिखित तरीके से किसी अधिभोगी से किसी बकाये की वसूली के प्रयोजनार्थ और उक्त प्रयोजन के लिये नोटिस जारी करने के लिये इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची के अनुसार सार्वजनिक मलशोधक संयंत्र समितियों के अन्तर्गत अपने-अपने औद्योगिक क्षेत्रों के लिये संबद्ध सार्वजनिक मलशोधक संयंत्र समितियों को उक्त अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 6 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत शक्तियां सौंपते हैं।

और जबकि उक्त शक्ति इस संबंध में उद्योग आयुक्त या यथाअधिसूचित ऐसे प्राधिकारी की समूची देखरेख तथा नियंत्रण के अधीन प्रयोग की जाएगी।

प्रथम अनुसूची

सार्वजनिक मलशोधक संयंत्र अधिनियम धारा 6(2)(ख) के अंतर्गत राशि की वसूली के लिये जिन सार्वजनिक मलशोधक संयंत्र समितियों को शक्तियां सौंपी जा रही हैं, उनकी सूची

क्र. सं.	समितियों का नाम
1	2
1.	ओखला सार्वजनिक मलशोधक संयंत्र
2.	झिलमिल सार्वजनिक मलशोधक संयंत्र
3.	लारेंस रोड
4.	जी. टी. करनाल रोड
5.	एसएमए/एसएसआई/राजेश्वरी

1	2
6.	मायापुरी
7.	उद्योग नगर
8.	मंगोलपुरी
9.	बादली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

चेतन बी. संघी, सचिव

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INDUSTRIES

NOTIFICATION

Delhi, the 28th January, 2010

No. F. 1/JCI/CETP/Meeting/2009/38.—Whereas *vide* Notification No. F. 14(29)/LA-2000/1/LA dated 5th January, 2001 Delhi Common Effluent Treatment Plant Act, 2000 was brought into effect to provide for recovery of the dues as arrears of land revenue in respect of the capital and recurring costs of Common Effluent Treatment Plants set up in the Industrial Estates in the National Capital Territory of Delhi and matters connected therewith or incidental thereto.

Whereas subsequently *vide* notification No. 7(99)/CETP/2000 the Government of National Capital Territory of Delhi has published the Delhi Common Effluent Treatment Plant Rules, 2001.

And whereas in order to decentralize the powers under the Act for better maintenance and upkeep of CETPs by the CETP Societies it has been decided to delegate the powers of appropriate authority to the respective CETPs Societies as per the list enclosed hereto in Schedule-I.

Now, therefore in exercise of the powers conferred under Section 15 of the Delhi Common Effluent Treatment Plant Act, 2000, the Commissioner of Industries, Government of National Capital Territory of Delhi hereby delegates the powers under clause (b) of sub-section (2) of Section 6 read with Section 16 of the said Act to the respective CETP Societies for the respective industrial areas under their control as per Schedule-I annexed hereto, for the purpose of recovery of any due from any occupier in the manner as laid down in this Act and to issue notices for the said purpose.

And whereas the said power shall be exercised under the overall supervision and control of the Commissioner of Industries or such authority as may be notified in this regard.

SCHEDULE-I

List of CETP Societies which are being conferred the power for recovery of sum under Sec. 6(2)(b) of CETP Act, 2000

Sl. No.	Name of Societies
1	2
1.	Okhla CETP
2.	Jhilmil CETP
3.	Lawrence Road
4.	G. T. Karnal Road
5.	SMA/SSI/Rajeshwari
6.	Maya Puri
7.	Udyog Nagar
8.	Mangol Puri
9.	Badli

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

CHETAN B. SANGHI, Secy.

भूमि व भवन विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 28 जनवरी, 2010

सं. फा. 7(22)/07/भू. व भ./भू. अ./13656.—जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल संतुष्ट हैं कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त किया जाना है । अतः इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाना है ।

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबंधों के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या फा. 7(22)/07/भू. व भ./भू. अ./12771, दिनांक 13-2-2009 के द्वारा की जा चुकी है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के अधीन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (उत्तर-पश्चिम) को उक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए आदेश लेने के लिए इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (उत्तर-पश्चिम) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

विशिष्ट विवरण

गांव का नाम	कुल क्षेत्र (बीघा-बिस्वा बिस्वांसी)	खसरा नं.	क्षेत्र (बीघा-बिस्वा-बिस्वांसी)
हमीदपुर	0-14-08	24/11	0-14-08

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 28th January, 2010

No. F. 7(22)/07/L & B/LA/13656.—Whereas the Lt. Governor, Delhi is satisfied that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose namely for construction of Sewage Pumping Station by Delhi Jal Board. It is hereby notified that the land in the locality described below is required for the above purpose.

This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 in respect of

T.C

the land notified u/s. 4 of L. A. Act, 1894 *vide* Notification No. F. 7(22)/07/L & B/LA/12771, dated 13-2-2009 to all whom it may concern. Under the provisions of Section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector (North-West), Delhi is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land.

A plan of the land may be inspected at the office of the Land Acquisition Collector (North-West), Delhi.

SPECIFICATION

Village	Total Area (Bigha-Biswa-Biswansi)	Khasra No.	Area (Bigha-Biswa-Biswansi)
Hamidpur	0-14-08	24/21	0-14-08

सं. फा. 7(22)/07/भू. व भ./भू. अ./13657.—भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली के उपराज्यपाल भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (उत्तर-पश्चिम), दिल्ली को सहर्ष निर्देश देते हैं कि वे उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की समाप्ति पर ऐसी भूमि पर कब्जा कर लें जिसका विशिष्ट विवरण अधिसूचना संख्या फा. 7(22)/07/भू. व भ./ भू. अ./12771, दिनांक 13-2-2009 धारा 4 एवं संख्या फा. 7(22)/07/भू. व भ./ भू. अ./13656, दिनांक 28-1-2010 धारा 6 में दिया हुआ है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

कुलदीप सिंह गंगर, संयुक्त सचिव

No. F. 7(22)/07/L & B/LA/13657.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 17 of the Land Acquisition Act, 1894, the Lt. Governor, Delhi is pleased to direct the Land Acquisition Collector (North-West), Delhi to take possession of land the specification of which is given in the notification No. F. 7(22)/07/L & B/LA/12771, dated 13-2-2009 under Section 4 and No. F. 7(22)/07/L & B/LA/13656, dated 28-1-2010 under Section 6 of the said Act on expiry of 15 days from publication of the notice under sub-section (1) of Section 9 of the said Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

KULDEEP SINGH GANGAR, Jt. Secy.

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 28 जनवरी, 2010

सं. फा. 23(9)(3)/2009/विसस-4/विधायी/707.—दिनांक 28 जनवरी, 2010 को उपराज्यपाल द्वारा जारी निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

"मैं, तेजेन्द्र खन्ना, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 (1992 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) की धारा 6 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा चतुर्थ विधान सभा का तृतीय सत्र तत्काल प्रभाव से सत्रावसान करता हूँ।

ह./-

तेजेन्द्र खन्ना,

उपराज्यपाल, दिल्ली"

सिद्धार्थ राव, सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 28th January, 2010

No. F. 23(9)(3)/2009/LAS-IV/Leg./707.—The following order of the Lieutenant Governor, Delhi, dated 28th January, 2010 is hereby published for general information :—

"In exercise of the power conferred upon me by clause (a) of sub-section (2) of Section 6 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (Central Act, No. 1 of 1992), I, Tejendra Khanna, Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby prorogue the Third Session of the Fourth Legislative Assembly with immediate effect.

Sd/-

TEJENDRA KHANNA,

Lt. Governor of Delhi"

SIDDHARATH RAO, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054